संख्या : 62/2025/761/छप्पन-2025-7/2017

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 19 जून, 2025

विषय: निदेशालय के हॉकर 900 एक्स0पी0 वायुयान के Major Maintenance की अवधि में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्पादित विभिन्न शासकीय उड़ानों हेतु वाह्य संस्था के जेट वायुयान से ली गई उड़ान सेवाओं एवं ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त के संदर्भ में हुए व्यय की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-70/ना0उ0नि0/ऑप्स-51/2023 दिनांक 29 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा धनराशि रू0 2,56,90,653/- की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति एवं भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके संदर्भगत पत्र में किए गए प्रस्ताव के क्रम में श्री राज्यपाल महोदया वित्तीय वर्ष 2025-26 में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की दिनांक 17.03.2025 को दिल्ली-लखनऊ-सरसावा-लखनऊ-दिल्ली की यात्रा; दिनांक 26.03.2025 को दिल्ली-गोरखपुर-आगरा की यात्रा; दिनांक 26.03.2025 को ही आगरा-लखनऊ-दिल्ली की यात्रा; दिनांक 01/02 अप्रैल, 2025 को दिल्ली-लखनऊ-बरेली-लखनऊ-हिंडन-बक्शी का तालाब-दिल्ली की यात्रा; दिनांक 03.04.2025 को दिल्ली-वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली की यात्रा; दिनांक 15.04.2025 को दिल्ली-लखनऊ-आगरा-लखनऊ-दिल्ली; दिनांक 20.04.2025 को दिल्ली-गोरखपुर-चकेरी-दिल्ली की यात्रा एवं दिनांक 23.04.2025 को दिल्ली-लखनऊ-आगरा-लखनऊ-दिल्ली की यात्रा तथा दिनांक 27.04.2025 को दिल्ली–हिंडन-लखनऊ-दिल्ली में की गई यात्रा के संपादन हेतु M/s AR Airways (P) Ltd. के जेट वायुयान से प्राप्त की गई सेवाओं की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त उड़ान में हुए व्यय हेतु फर्म से प्राप्त बिल सं0-AHC/2425/445,453,454; AHC/2426/018,019,020,021,024,025 के अनुसार रू0 2,39,95,333/- साथ ही M/s AR Airways (P) Ltd से पूर्व में दिनांक 22.02.2025 से 26.03.2025 के मध्य संपादित की गई कुल 07 उड़ानों से सम्बन्धित ग्राउंड हैंडलिंग में हुए व्यय हेतु फर्म से प्राप्त बिल सं0-AHC/2526/001,002,003,004,007,005,006 के अनुसार रू0 16,95,320/- अर्थात कुल रू0 2,56,90,653/- (रूपया दो करोड़ छप्पन लाख नब्बे हजार छ: सौ तिरपन मात्र) के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या: 62/2025/761(1)/छप्पन-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अभिनव कुमार चौरसिया)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in